न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः जितेन्द्र कुमार सिन्हा, उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-3339/2022

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या-10317/2022

CNR No. UPGZ010205622022

महेश मीना पुत्र रामेश्वर सिंह निवासीद अब्दुलशाहपुर हुलासन पोस्ट शिकारपुर जिला बुलन्दशहर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्याः 892/2022
धारा 376,328,384,504,506 भा०द०सं०
थाना नन्दग्राम,गाजियाबाद।

07-11-2022

यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त महेश मीना की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार महेश मीना का शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का न्यायालय के समक्ष यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन केस के अनुसार दिनांक 02-11-2020 को सुनीता देवी जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ गाजियाबाद निवासी साहिबाबाद के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण भारत संगठन में गाजियाबाद महानगर महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुयी थी जिसमें उसे महेश मीणा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल त्यागी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष , मोहित कुमार युवा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश व कुछ अपठित हस्ताक्षरो द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। वादनी को संगठन द्वारा जो भी समय-समय पर कार्य दिये गये थे वह भी वादनी ने कुशलतापूर्वक कियें दिनांक 24-11-2020 को जिला अध्यक्ष सुनीता देवी का वादनी को उसके मोबाईल फोन पर कॉल आया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मीणा गाजियाबाद राजनगर विस्तार आये हुए हैं और उन्होने कहा कि दिनांक 25-11-2020 को समय करीब 12.00 बजे संगठन के विस्तार को लेकर मीटिंग रखी हुयी है। उमा और उसमे उमा देवी और आपका आना जरूरी है,क्योकि यह मीटिंग महिला प्रकोष्ठ से सम्बन्धित है। उसने संगठन के कार्य से सम्बन्धित मीटिंग होने के कारण सुनीता देवी को मीटिंग में आने को कह दिया। सुनीता देवी के कहे अनुसार वह दिनांक 25-11-2020 को सुनीता देवी के घर साहिबाबाद पहुंची और वहां से वह दोनो श्री व्हीलर में बैठकर मोहननगर गाजियाबाद पहुंचे और वहां से सुनीता देवी ने एक दूसरा श्री व्हीलर से राजनगर विस्तार गाजियाबाद के गोलचक्र के लिये कर लिया और कायमेरा सोसायटी राजनगर विस्तार गाजियाबाद पहुंचे। सुनीता देवी कहने लगी कि वह महेश मीणा जी को फोन

करती हैं वह उन्हें लेने आयेगे। सुनीता देवी ने महेश को फोन पर कहा कि और कुछ समय बाद महेश मीणा कायमेरा सोसायटी के बाहर गेट पर आ गये। फिर दोनो महेश मीणा के साथ एक फलैट पर पहुंचे वहां पर पहले से ही एक लड़का मौजूद था। उसी लड़के ने सुनीता और उसे पानी पीने के लिये दिया। उसके बाद महेश मीणा ने उन दोनो से कहा कि अंदर वाले कमरे में आ जाओ यही बैठकर मीटिंग करते है। वह दोनो कमरे में जाकर सौफे पर बैठ गये और महेश मीणा कमरे में मौजूद बैठ गये और महेश मीणा ने बाहर खडे लड़के को कहा कि चाय बनाकर ले जाओ, कुछ देर बाद ही उसके पास से सुनीता यह कहकर जाने लगी कि वह अच्छी सी चाय बनवाकर लाती है। तुम यहीं बैठों इस बीच महेश मीणा उससे संगठन से सम्बन्धित बातचीत करने लगे, तभी सुनीता तीन कप चा लेकर अंदर आ गयी उसने एक कप चाय उसे दी और एक कप महेश मीणा को दी और एक कप चाय वापस लेकर जाने लगी कि वह अपनी चाय बाहर बैठकर पी रही है, क्योकि उसने लडके को खाना बनाने के लिये कहा है,और वह उसका थोडा हाथ बटा दे। यह कहते हुए सुनीता कमरे से बाहर चली गयी। चाय पीने के करीब 10-15 मिनट के बाद वादनी के सिर में अचानक दर्द होने लगा। उसके बाद वादी को होश नहीं आया। करीब ढाई घंटे बाद वादनी को होश आया तो उसने अपने आपको बैड पर पाया और उसके सामने सुनीता खडी हुयी थी और वह वादनी से कह रही थी कि तुम्हें क्या हो गया हैं, तुम बेहोश क्यो हो गयी। वादनी ने कहा कि उसे कुछ नही पता, वह तो चाय पीने के बाद महेश से संगठन को लेकर बात चल रही थी, उसने देखा कि उसके कपडे कुछ अस्त व्यस्त है, उसने सुनीता से पूछा कि बाशरूम किधर है तो सुनीता ने उसे इशारे से वाशरूम का रास्ता बता दिया। वादनी जब वाशरूम के अंदर पहुंची तो उसने महसूस किया कि वादनी के गुप्तांग के अंदर व बाहर वीर्य लगा हुआ था। वादनी को समझ आ गया कि उसके साथ महेश मीणा ने सुनीता के सहयोग से बलात्कया किया है। वह तुरन्त वाशरूम से बाहर आयी और सुनीता को जब महेश मीणा व उसके द्वारा की गयी करतूत के बारे में बताया तो सुनीता उसके उपर भडक गयी और तेज आवाज सुनकर महेश मीणा कमरे के अंदर आ गया उसने कहा कि उमा जो होना था वह हो गया अब तुम इस बात को भूल जाओ यही तुम्हारे व तुम्हारे परिवार के लिये अच्छा होगा। ज्यादा इस बात को बढाया तो जो सुनीता ने उसकी व तुम्हारी वीडियो बनायी है उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देगी फिर तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया हैं वह निर्दोष हैं। अभियुक्त ने पीडिता के साथ कोई गलत काम नहीं किया हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट 10 माह विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, परन्तु विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियुक्त एक सम्मानित सदस्य हैं। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस उसे गिरफतार करने की फिराक में है। यदि उसे गिरफतार कर लिया जाता है तो अभियुक्त की छवि समाज में धूमिल हो जाएगी। इस स्तर पर अग्रिम जमानत की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा पीडिता को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया गया है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इस स्तर पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने पर बल दिया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)को सुना तथा समस्त प्रपत्रो का सम्यक अवलोकन किया।

प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सह अभियुक्ता के सहयोग से अभियुक्त द्वारा पीडिता को चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में बलात्कार किया जाना एवं उसकी नग्न वीडियो बनाया जाना अभिकथित किया है। पीडिता ने अपने बयान धारा 161 द०प्र०सं० में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कहा गया हैं कि सह अभियुक्ता उसे अभियुक्त के कहे अनुसार फलैट पर ले जाना एवं कमरे के अंदर वह तथा अभियुक्त के उपस्थित होना तथा चाय पीने के बाद बेहोश होना एवं उसके साथ बलात्कार होना कहा गया है तथा पीडिता ने अपने बयान धारा 164 द०प्र०सं० में धारा 161 द०प्र०सं० के बयानो का समर्थन किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पीडिता द्वारा अपने बयानो में अभियुक्त द्वारा बलात्कार किया जाना एवं उसकी नग्न वीडियो बनाया जाना एवं धमकी दिया जाना अभिकथित है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता एवं अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुए अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का कोई पर्याप्त, उचित एवं न्यायसंगत आधार नहीं है। तदनुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त महेश मीणा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 07-11-2022 (जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

सत्र न्यायाधीश,

गाजियाबाद।

J.O.Code No. UP6515